



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 18.08.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 18.08.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना- जसवन्तनगर

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को 04-04 वर्ष का कारावास व 5,500-5,500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जसवन्तनगर पैरोकार व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते **मा0 न्याया0एडीजे-04/ स्पे0 जज वि0 अधि0 इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को 04-04 वर्ष का कारावास व 5,500-5,500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरण:- थाना जसवन्तनगर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी की साथ मारपीट कर गाली-गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर दिनांक 08.06.2020 को **मु0अ0सं0 211/2020 धारा 323/504/506/308 भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री संजय सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम, पैरोकार **का0 मनीष कसाना व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री मंजू शाक्य** द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.08.2026 को अन्तर्गत धारा **323/504/506/308 भादवि में मा0 न्याया0एडीजे-04/ स्पे0 जज वि0 अधि0 इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को 04-04 वर्ष का कारावास व 5,500-5,500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. राहुल कुमार पुत्र रामनरेश निवासी जनकपुर थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।
2. गनेश पुत्र रामनरेश निवासी जनकपुर थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।
3. विकास पुत्र रामनरेश निवासी जनकपुर थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।